ब्रू-रयिांग ऐतहिासकि समझौता

प्रीलमि्स के लयि:

ब्रू जनजाति

मेन्स के लयि:

ब्रू-रयिांग शरणार्थी समस्या के समाधान में नए समझौते का महत्त्व

चर्चा में क्यों?

16 जनवरी, 2020 को नई दल्लिी में भारत सरकार, त्रपिुरा और मज़िोरम सरकार तथा ब्रू-रयिांग (Bru-Reang) प्रतनिधियिों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर कयि गए।

प्रमुख बदिु

- इस नए समझौते के तहत लगभग 23 वर्षों से चल रही ब्रू-रयिांग शरणार्थी समस्या का स्थायी समाधान कयि जाएगा और लगभग 34 हज़ार लोगों को त्रपिुरा में बसाया जाएगा।
- इन सभी लोगों को राज्य के नागरकिों के समान सभी अधकिार दयि जाएंगे और ये केंद्र व राज्य सरकारों की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे।
- इस नई व्यवस्था के अंतर्गत वस्थिापति परविारों को 40x30 फुट का आवासीय प्लॉट, आर्थकि सहायता के रूप में प्रत्येक परविार को पहले समझौते के अनुसार 4 लाख रुपए फक्सि्ड डपॉज़िट, दो साल तक 5 हज़ार रुपए प्रतमिाह नकद सहायता, दो साल तक फ्री राशन व मकान बनाने के लयि 1.5 लाख रुपए दयि जाएंगे।
- इस नई व्यवस्था के लयि भूमकिी व्यवस्था त्रपिुरा सरकार करेगी।
- भारत सरकार, त्रपिुरा और मज़िोरम सरकार तथा ब्रू-रयिांग प्रतनिधियिों के बीच हुए समझौते के तहत लगभग **600 करोड़ रुपए की सहायता राशि** केंद्र द्वारा दी जाएगी।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 1997 में जातीय तनाव के कारण करीब 5,000 ब्रू-रयिांग परविारों, जसिमें करीब 30,000 व्यक्ति थे, ने मज़िोरम से त्रपिुरा में शरण ली।
- इन लोगों को कंचनपुर, उत्तरी त्रपिुरा के अस्थायी शवििरों में रखा गया।
- भारत सरकार वर्ष 2010 से ब्रू-रयिांग परविारों को स्थायी रूप से बसाने के लयि लगातार प्रयास करती रही है। इन प्रयासों के तहत वर्ष 2014 तक वभिन्नि बैचों में 1622 ब्रू-रयिांग परविारों को मज़िोरम वापस भेजा गया।
- ब्रू-रयिांग वस्थिापति परविारों की देखभाल व पुनर्स्थापन के लयि भारत सरकार त्रपिुरा व मज़िोरम सरकारों की सहायता भी करती रही है।
- 3 जुलाई, 2018 को भारत सरकार, मज़िोरम व त्रपिुरा सरकार तथा ब्रू-रयिांग प्रतनिधियिों के बीच हुए एक समझौते के बाद ब्रू-रयिांग परविारों को दी जाने वाली सहायता में काफी वृद्धि की गई है। समझौते के उपरांत वर्ष 2018-19 में 328 परविार, जसिमें 1369 लोग शामलि थे, त्रपिुरा से मज़िोरम वापस भेजे गए। लेकनि अधकिांश ब्रू-रयिांग परविारों की यह मांग थी कि सुरक्षा संबंधी आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें त्रपिुरा में ही बसा दयि जाए।

ब्रू जनजाति के बारे में

- ब्रू जनजाति को त्रपिुरा में रयिांग के नाम से भी जाना जाता है। यह वशिष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (Particularly Vulnerable Tribal Group-PVTG) के रूप में वर्गीकृत 75 जनजातीय समूहों में से एक है।
- इस जनजाति के सदस्य त्रपिुरा और मज़िोरम के अलावा असम तथा मणपिुर में भी नविास करते हैं।

- त्रपिुरी जनजाति के बाद यह त्रपिुरा की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ब्रू-रयिांग जनजाति मुख्य रूप से दो बड़े गुटों- **मेस्का और मोलसोई** में वभिाजति है।
- जी.के. घोष की पुस्तक **'Indian Textiles: Past and Present'** के अनुसार, इस जनजाति की महलिाएँ बुनाई का काम भी करती हैं लेकनि ये कुछ गनि चुने कपड़े ही बुनती हैं जो इस प्रकार हैं-

//

  - **रनिाई (Rinai):** महलिाओं द्वारा कमर से नीचे पहना जाने वाला वस्त्र।
  - **रसिा (Risa):** महलिाओं द्वारा वक्ष पर पहना जाने वाला वस्त्र।
  - **बासेई (Basei):** महलिाओं द्वारा बच्चों को शरीर पर बाँधने के लयि प्रयोग कयि जाता है।
  - **पानद्री (Pandri):** पुरुषों द्वारा कमर के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र।
  - **कुताई (Kutai):** शर्ट के समान होता है जसिे पुरुष और महलिाएँ दोनों द्वारा पहना जाता है।
  - **रकिातु (Rikatu):** आयताकार वस्त्र जसिे शरीर को लपेटने के लयि इस्तेमाल कयि जाता है।
  - **बाकी (Baki):** यह रकिातु की तुलना में थोड़ा भारी होता है।
  - **कामचाई (Kamchai):** इसे सरि पर लपेटने के लयि इस्तेमाल कयि जाता है।

- हदिू धर्म के वैष्णव संप्रदाय को मानने वाली रयिांग जनजाति के प्रमुख को 'राय' कहा जाता है।

स्रोत: पी.आई.बी.

और पढ़ें..

[भारत के जनजातीय समुदायों पर शाशा समति की रपिोर्ट]

[ब्रू जनजाति समस्या]

[ब्रू शरणार्थी समझौता]

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/historic-agreement-to-end-the-bru-reang-refugee-crisis